

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 820 / 2022 दिनांक : 08.03.2022

श्री विनोद कुमार शर्मा (RJ0527), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक) को दिनांक 16.02.2022 से 18.02.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक)/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
07-03-2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/14/2005/1882

दिनांक : 08.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 1869 दिनांक 22.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री विनोद कुमार शर्मा (RJ0527), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई (टोंक)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।

सहायक रजिस्ट्रार